UPBG010026542026

Criminal Misc. Cases/180/2026

BENAM SUNGH ALIAS RAJA Vs. State of U.P.

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थितः मनोज कुमार-III, एच.जे.एस.

J.O.Code UP-1909

1. बेनाम सिंह उर्फ राजा पुत्र हरेन्द्र उर्फ पप्पू , निवासी ग्राम सलावत खेडी, थाना खेकडा, जिला बागपत।

----प्रार्थी/वादी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

----विपक्षीगण

अ०धारा 448 बी.एन.एस.एस.

दिनांकः–04–06–2026

अंतरण प्रार्थनापत्र/विविध वाद 3 अ पेश हुआ।

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थी/वादी व विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को अंतरण प्रार्थना–पत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी/वादी की ओर से यह अंतरण प्रार्थना–पत्र/विविध वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सत्र परीक्षण संख्या 388/2017 सरकार बनाम बाबू आदि, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 34 भा.द.सं. थाना खेकडा, जिला बागपत से सम्बन्धित है, में वह वादी मुकदमा है तथा उक्त सत्र परीक्षण अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत में विचाराधीन है। उक्त सत्र परीक्षण पूर्व में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज (पोक्सो अधिनियम), बागपत में विचाराधीन था तथा दिनांक 27.04.2026 को प्रशासनिक आदेशानुसार उक्त पत्रावली न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत के समक्ष स्थानान्तरित कर दी गयी है। दिनांक 10.04.2026 के आदेशानुसार उपरोक्त पत्रावली दिनांक 24.04.2026 को वास्ते निर्णय सुरक्षित कर ली गयी थी, परन्तु दिनांक 24.04.2026 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अचालक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निर्णय पारित नहीं हो सका तथा उसके पश्चात दिनांक 25.04.2026 व 26.04.2026 को भी अवकाश होने के कारण पत्रावली पर कोई निर्णय पारित नहीं हो सका। दिनांक 27.04.2026 को प्रशासनिक आदेशानुसार उपरोक्त पत्रावली स्पेशल जज (पोक्सो अधिनियम) बागपत के न्यायालय से अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत को स्थानान्तरित कर दी गयी। प्रार्थना–पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी के समक्ष पूर्ण विचारण चलने के कारण व सम्पूर्ण बहस सुने जाने के कारण उसी न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना उचित है। धारा 311 द.प्र.सं. में वादी बेनाम सिंह उर्फ राजा के बयान दर्ज कराते समय उनके द्वारा कुछ विधिक प्रश्न निर्णय के स्तर पर सुने जाने के लिए सुरक्षित रख लिये गये थे, जिनका निस्तारण भी उसी न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित रहेगा। उपरोक्त सत्र परीक्षण का विचारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत के समक्ष होने पर न्यायालय का कीमती समय अनावश्यक रूप से बरबाद होगा। अतः प्रार्थना है कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत के समक्ष विचाराधीन सत्र परीक्षण संख्या 388/2017 सरकार बनाम बाबू आदि, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 34 भा.द.सं. थाना खेकडा, जिला बागपत को वापस न्यायालय

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.04 16:12:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्पेशल जज (पोक्सो अधिनियम) बागपत के न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।

विपक्षीगण की ओर से उक्त अंतरण प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा मौखिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित सत्र परीक्षण की पत्रावली को प्रशासनिक आधार/आदेश से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष पोस्क्सो अधिनियम, बागपत से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत में अंतरित किया गया है तथा उक्त प्रकरण में बहस सुनने के उपरान्त उक्त न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त सत्र परीक्षण में निर्णय पारित किया जा सकता है, जिसमें कोई विधिक अनियमित्ता नहीं है। अंतरण प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त अंतरण प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की आख्या आहूत की गयी, जो पत्रावली पर संलग्न है। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 29.05.2026 में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण की पत्रावली स्थानान्तरित करने से पूर्व उनके न्यायालय में बहस के स्तर पर लम्बित चल रही थी, जिसमें दिनांक 10.04.2026 को वादीपक्ष की बहस पूर्ण हो चुकी थी तथा अभियुक्त पक्ष को समय दिये जाने के बावजूद बहस न करने व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पत्रावली को शीघ्र निस्तारित करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 24.04.2026 के लिए नियत कर दी गयी तथा यह भी आदेश पारित किया गया कि इस मध्य किसी पक्ष को बहस करनी हो या लिखित बहस दाखिल करनी हो, तो दाखिल कर सकता है। दिनांक 24, 25 व 26.04.2026 को अवकाश होने के कारण निर्णय पारित नहीं किया जा सका था। यदि उक्त सत्र परीक्षण को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली व सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की आख्या का अवलोकन किया।

यह तथ्य निर्विवाद है कि सत्र परीक्षण संख्या 388/2017, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 34 भा.द.सं., थाना खेकडा, जिला बागपत की पत्रावली पूर्व में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष पोक्सो अधिनियम, बागपत के न्यायालय में विचाराधीन थी तथा उक्त न्यायालय में ही उपरोक्त सत्र परीक्षण की लगभग समस्त कार्यवाही सम्पादित हुई है। उक्त सत्र परीक्षण को प्रशासनिक आधार/आदेश के द्वारा दिनांक 27.04.2026 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत में अंतरित किया गया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, बागपत की आख्या के अनुसार उपरोक्त सत्र परीक्षण की पत्रावली स्थानान्तरित करने से पूर्व उनके न्यायालय में बहस के स्तर पर लम्बित चल रही थी, जिसमें दिनांक 10.04.2026 को वादीपक्ष की बहस पूर्ण हो चुकी थी तथा अभियुक्त पक्ष को समय दिये जाने के बावजूद बहस न करने व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पत्रावली को शीघ्र निस्तारित करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 24.04.2026 के लिए नियत कर दी गयी तथा यह भी आदेश पारित किया गया कि इस मध्य किसी पक्ष को बहस करनी हो या लिखित बहस दाखिल करनी हो, तो दाखिल कर सकता है। दिनांक 24, 25 व 26.04.2026 को अवकाश होने के कारण निर्णय पारित नहीं किया जा सका था। पत्रावली पर प्रार्थी/वादी की ओर से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, बागपत के उक्त सत्र परीक्षण की पत्रावली पर अंकित आदेश–पत्रों की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी हैं, जिनमें से दिनांक 10.04.2026 के आदेश–पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि पत्रावली काफी लम्बे समय से बहस में नियत चल रही है, परन्तु अभियुक्तपक्ष की ओर से येन–केन प्रकार से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मामले को विलम्बित किया जा रहा है, जबकि पत्रावली के शीघ्र निस्तारण का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से समय दिये जाने के बावजूद माननीय उच्च न्यायलय का कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पत्रावली निर्णय में सुरक्षित की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24.04.2026 को पेश हो। इस मध्य यदि किसी पक्ष को बहस करनी हो या लिखित बहस दाखिल करनी हो तो दाखिल कर सकता है।

प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त राजेन्द्र सिंह के

जमानत प्रार्थना–पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.07.2025 द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र सिंह का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया था तथा सम्बन्धित सत्र परीक्षण को बिना किसी स्थगन को स्वीकार किये, शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश भी दिया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही थी तथा प्रकरण को दिनांक 24.04.2026 को निर्णय हेतु नियत भी कर दिया गया था, परन्तु प्रशासनिक आधार/आदेश द्वारा उक्त पत्रावली न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत के न्यायालय में अंतरित हो गयी है। चूँकि उपरोक्त वर्णित सत्र परीक्षण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, बागपत के न्यायालय में परिपक्व हुई है तथा सत्र परीक्षण दिनांक 24.04.2026 को निर्णय हेतु भी नियत किया जा चुका था तथा पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का सत्र परीक्षण को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश भी विद्यमान है, ऐसी स्थिति में उक्त सत्र परीक्षण का निस्तारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, बागपत द्वारा किया जाना न्यायोचित व समीचीन प्रतीत होता है।

अतः मामले के सभी तथ्य, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अंतरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अंतरण प्रार्थना–पत्र 3 अ स्वीकार किया जाता है। सत्र परीक्षण संख्या 388/2017 सरकार बनाम बाबू आदि, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 34 भा.द.सं. थाना खेकडा, जिला बागपत को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, बागपत के न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम (एक्सक्लूसिव कोर्ट), बागपत के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित सूचित हों, अनुपालन सुनिश्चित करें।

सत्र न्यायाधीश,
बागपत।